By Speed Post

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. KS/3/2017/STGUL/SEOTH/RU-I
File No. DS/1/2018/STGUL/SEOTH/RU-I

Dated: 28/03/2019

To,

1. The Director General of Police,
Govt. of Uttarakhand,
Dehradhun

2. The Additional Chief Secretary,
Public Works Department,
Govt. of Uttarakhand,
Secretariat,
Dehradun,
(Uttarakhand).

3. The Labour Commissioner,
Govt. of Uttarakhand,
Shram Bhawan,
Nainital Road, Haldwani,
(Uttarakhand).

4. The District Magistrate,
District- Haridwar,
(Uttarakhand)

Sub: (1) Representation dated 20/09/2017 received from Shri Khajan Singh, R/o Gram - Saavara, Post-Sujou, Tehsil-Chakrata, District Dehradun-248183 Uttarakhand regarding non-payment of wages of workers by the Link Enterprises, Haridwar (Shri Anil Jetali).

(2) Representation dated 01/02/2018 received from Shri Dilip Singh, S/o Shri Semasu, C/o Vyas Nehari, Indra Colony, Kalasi, District - Dehradun, Uttarakhand regarding non-payment of wages of workers by the Link Enterprises, Haridwar (Shri Anil Jetali).

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of the minutes of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi on 05/03/2019 at 3:00 P. M. under the Chairmanship of Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the suggestions / recommendations of the Commission may please be sent to the NCST at the earliest.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar/ राजेश्वर कुमार)
Assistant Director/सहायक निदेशक
Tel: 011-24641640.

Copy for necessary action to:

Shri Anil Jaitely,
M/s. Link Enterprises/RRC,
Basant Vihar, Railway Road,
Jwalapur, Haridwar - 249407
(Uttarakhand).
Fax No. 01334-255501.
Email: link_enterprises9@rediffmail.com

Shri Khajan Singh,
R/o Gram - Saavara,
Post-Sujou,
Tehsil-Chakrata,
District-Dehradun-248183
(Uttarakhand)

Shri Dalip Singh,
C/o Vyas Nehari,
Indra Colony, Kalasi,
District – Dehradun,
(Uttarakhand).

(Rajeshwar Kumar/ राजेश्वर कुमार)
Assistant Director/सहायक निदेशक
Tel: 011-24641640.

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. NIC (for hosting on Commission's website)

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(सं0:KS/3/2017/STGUL/SEOTH/RU-I)

(सं0:DS/1/2018/ STGUL/SEOTH/RU-I)

श्री खजान सिंह, ग्राम–सावरा, पो0–सुजोऊ, तह0–चकराता, जिला–देहरादून (उत्तराखंड) एवं श्री दलिप सिंह, पुत्र श्री सेमसु, व्यास नहरी, इन्द्रा कालोनी, कालसी, जिला–देहरादून (उत्तराखंड) को मुख्य ठेकेदार (श्री अनिल जेटली, कंपनी–लिंक इंटरप्राइजेज, रेलवे रोड, ज्वालापुर) हरिद्वार द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में आयोग में प्राप्त अभ्यावेदनों पर, सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 05.03.2019 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त ।

सिटिंग में प्रतिभागियों की सूची परिशिष्ट में है।

श्री खजान सिंह, ग्राम–सावरा, पो0–सुजोऊ, तह0–चकराता, जिला–देहरादून (उत्तराखंड) ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 20.09.2017 एवं श्री दलिप सिंह, पुत्र श्री सेमसु, व्यास नहरी, इन्द्रा कालोनी, कालसी, जिला–देहरादून (उत्तराखंड) ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 01.02.2018 द्वारा आयोग को अवगत कराया कि मुख्य ठेकेदार (श्री अनिल जेटली, कंपनी–लिंक इंटरप्राइजेज, रेलवे रोड, ज्वालापुर) हरिद्वार द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा न्याय के लिए प्रार्थना की।

2. उपरोक्त प्रकरणों में, सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 08.05.2018 को मुख्य ठेकेदार (श्री अनिल जेटली, कंपनी–लिंक इंटरप्राइजेज, रेलवे रोड, ज्वालापुर) हरिद्वार, श्री खजान सिंह तथा श्री दलिप सिंह एवं अन्य पीड़ित वर्ग तथा उत्तराखंड सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों, उत्तराखंड सरकार के श्रम आयुक्त कार्यालय के अधिकारी तथा एसआई, थाना विकास नगर, जिला–देहरादून के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। सभी पक्षों एवं उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधियों को सुनने के बाद आयोग ने निम्न सुझाव/संस्तुतियां कीः–

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(1) पीडब्ल्यूडी विभाग, श्री खजान सिंह द्वारा बनायी गयी रोड के निरस्तीकरण का प्रमाण पत्र आयोग को उपलब्ध कराएगा।

(2) श्री अनिल जेटली द्वारा किए गए निवेदन के अनुसार, वह दिनांक 16 मई, 2018 को श्री खजान सिंह के साथ बैठ कर लेन देन के मामले में निस्तारण करेंगे। साथ ही श्री दलिप सिंह के लेन देन के हिसाब किताब का भी निस्तारण करेंगे। इस संबंध में दोनों पक्ष उक्त बैठक के परिणाम से यथाशीघ्र आयोग को सूचित करेंगे। इसके उपरांत आयोग अगली कार्यवाई पर विचार करेगा।

(3) श्री खजान सिंह को पुलिस विभाग द्वारा दिनांक 16 मई, 2018 को निर्धारित बैठक में और आवश्यकतानुसार सुरक्षा उपलब्ध करायी जाए।

3. सिटिंग दिनांक 08.05.2018 में लिए गए निर्णय के अनुसार, श्री अनिल जेटली (लिंक इंटरप्राईजेज) ने अपने पत्र सं0 LE/HRD/17-18/048 दिनांक 16.05.2018 जो माननीय उपाध्यक्ष, एनसीएसटी को सम्बोधित के द्वारा अवगत कराया कि "आप द्वारा निर्देश किया गया था कि दलिप सिंह 12.05.2018 को ज्वालापुर स्थित हमारे कार्यालय में हिसाब किताब करने हेतु उपस्थित होंगे। लेकिन खेद का विषय है कि आपके आदेशों के पश्चात् भी दलिप सिंह दिनांक 12.05.2018 को उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 16.05.2018 को श्री खजान सिंह को प्रातः 10:00 बजे आना था। अत्यंत खेद का विषय है कि आपके आदेशों के पश्चात् श्री खजान सिंह द्वारा न तो कोई संपर्क किया गया और न ही हमारे द्वारा संपर्क करने पर किसी प्रकार के प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैं स्वयं दोपहर लगभग 02:00 बजे तक श्री खजान सिंह की आने की प्रतीक्षा करता रहा, वह नहीं आ पाये। तत्पश्चात, मैं विभागीय बैठक देहरादून चला गया। अतः आपसे निवेदन है कि श्री खजान सिंह को कोई अन्य तारीख जो उनकी सुविधानुसार हो निश्चित कर हिसाब–किताब करने हेतु उपस्थित होने का निर्देश देने की कृपा करें। ताकि हिसाब–किताब में यदि किसी भी पक्ष की तरफ से कोई गलतफहमी है, वह दूर हो सके एवं वास्तविक हिसाब हो सके"।

4. श्री खजान सिंह एवं श्री दलिप सिंह ने अपने संयुक्त पत्र दिनांक 17.05.2018 द्वारा आयोग को सूचित किया कि दिनांक 08.05.2018 को आयोग में आयोजित सिटिंग के निर्देशानुसार "जब हमलोग पुलिस विभाग के कार्मिक श्री रिकेश, अनिल भंडारी विकास नगर, कोतवाली से एवं हरिद्वार थाना ज्वालापुर से सब–इन्स्पेक्टर, श्री कुलदीप सिंह शाह एवं आशिष नेगी की उपस्थिति में श्री अनिल जेटली के कार्यालय (दिनांक 16.05.2018) 12:30 बजे वहां पहुंचे तो उनके कार्यालय में उपस्थित उनके पुत्र श्री अमित जेटली, प्रदीप आदि जी ने बताया कि अनिल जेटली देहरादून गए हैं आप कभी दुबारा आना"।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. लिंक इंटरप्राइजेज ने पत्र सं0 LE/HRD/17-18/050 दिनांक 26.05.2018 जो श्री खजान सिंह को सम्बोधित तथा आयोग को पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित, में उल्लेख किया कि "माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार दिनांक 16.05.2018 को प्रातः 10:00 बजे आपको हिसाब–किताब हेतु आना था। लगभग 2:00 बजे तक आपका इंतजार करने के पश्चात् मैं अन्य विभागीय बैठक हेतु देहरादून चला गया। जानकारी मिली कि मेरे चले जाने के पश्चात् सांयकाल लगभग 3:00 बजे आप आये थे। यदि मुझे पूर्व में टेलीफोन द्वारा ही आप मुझे सूचित कर देते कि मैं सुबह 10:00 के बजाय शाम को आऊंगा, तो मैं देहरादून की बैठक को स्थगित कर आपका इंतजार करता। आयोग की माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने पुनः आदेश दिया कि शीघ्र आपस में समय तय कर हिसाब–किताब मिल बैठकर कर लें। अतः आपसे निवेदन है कि अपनी सुविधानुसार दिनांक एवं समय सूचित कर हिसाब–किताब हेतु माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आदेशों को पूरा करने का कष्ट करें। हम आपके पत्र या दूरभाष की प्रतीक्षा करेंगे एवं निश्चित तारीख एवं समय पर उपस्थित रहेंगे"।

6. श्री खजान सिंह ने पत्र दिनांक 29.06.2018 द्वारा आयोग को सूचित किया कि "दिनांक 16.05.2018 को श्री अनिल जेटली घर पर नहीं मिले इसके बाद दूरभाष पर बात हुई। श्री अनिल जेटली द्वारा बताया कि आप 27.06.2018 को मजदूरी ले लेना, लेकिन 26.06.2018 को फोन करके श्री अनिल जेटली कहता है कि मैं आपको 5–6 दिन बाद मिलूंगा"। अतः आयोग से अनुरोध है कि अपने स्तर से लिंक इंटरप्राइजेज को बुलाकर मजदूरी दिलवाने की कृपा करें।

7. सिटिंग दिनांक 08.05.2018 के निर्देशानुसार, अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड (एडीबी) लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी ने पत्र सं0 505/4C-15 दिनांक 07.09.2018 द्वारा आयोग को अवगत कराया कि विभाग द्वारा अनुबंध संख्या 12/पी0डी0/पी0एम0यू0/ए0डी0बी0/2013 दिनांक 28.12.2013 के अंतर्गत ठकेदार M/s RRC-LINK(JV) से वर्णित धौंतरी ठाण्डी मोटर मार्ग लम्बाई 7.30 किलो मीटर सहित चार मार्गों पर कुल लम्बाई 47.01 कि0मी0 में सिविल कार्य करवाया गया है जिसका उनको किए गए कार्य का भुगतान किया गया है। इस मार्ग पर श्री खजान सिंह द्वारा न तो विभाग द्वारा किसी अनुबंध के माध्यम से कार्य कराया गया अथवा उन्हें किसी प्रकार का कार्य करने के निर्देश दिए गए थे और न ही उन्हें किसी प्रकार का भुगतान किया गया था। श्री खजान सिंह द्वारा किए गए कार्य का कोई भी उल्लेख विभाग के पास नहीं है क्योंकि अनुबंध के अनुसार ऐसे कोई सब–कान्ट्रैक्ट के अभिलेख रखे जाने का प्राविधान नहीं है जिसकी अनुमति विभाग द्वारा नहीं दी गई है। RRC-LINK द्वारा खजान सिंह के संदर्भ में सब–कान्ट्रैक्ट की कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी। ठेकेदार श्री अनिल जेटली के स्पष्टीकरण पत्र सं0 RRC-LINK(JV)/17-18/060 दिनांक 21.12.2017 के पश्चात् विभाग के संज्ञान में आया है कि ठेकेदार एवं खजान सिंह के मध्य आपसी अनुबंध का गठन हुआ था जिसमें धौंतरी ठाण्डी

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

मोटर मार्ग पर कार्य किया जाना था। अनुबंध की शर्तानुसार कार्यों का Supervision Private Supervision Consultant (सलाहकार) के माध्यम से करवाया जाता है। इस संबंध में सलाहकार M/s EurostudiosSL M/s Theme Engineering द्वारा ठेकेदार RRC-LINK(JV) को मार्ग के संबंध में कमियां इंगित कराते हुए पत्र लिखे गए हैं। इन पत्रों में धौतरी ठाण्डी मोटर मार्ग के संबंध में कमियां बतायी गयी हैं वह पत्र सं0 Euro-Theme/CSC-04/USRIP-3/RE/Pkg.C-15/2016/143 दिनांक 06.08.2016, Euro-Theme/CSC-04/USRIP-3/RE/Pkg.C-15/2016/145 दिनांक 06.08.2016 तथा Euro-Theme/CSC-04/USRIP-3/TL/2017/RRC/2932 दिनांक 03.03.2017.

8. श्री दलिप सिंह ने अपने प्रकरण के समर्थन में सिटिंग में सहायक श्रम आयुक्त, प्राधिकारी वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, गढ़वाल क्षेत्र देहरादून के दिनांक 26.06.2018 तथा 28.11.2018 के आदेशों की प्रतियां तथा दिनांक 07.01.2019 के पत्र की प्रति आयोग को उपलब्ध करायी। इन आदेशों में वेतन भुगतान (Rs. 15,38,000/-) एवं विलम्ब क्षतिपूर्ति (Rs. 15,38,000/-) तथा कुल धन राशि रूपए 3076000/– आहरण/वितरण अधिकारी (उप श्रम आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र देहरादून) के नाम रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि कार्यालय में जमा कराने हेतु प्रतिवादी पक्ष श्री अनिल जेटली को आदेश दिया गया। सहायक श्रम आयुक्त, प्राधिकारी वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, गढ़वाल क्षेत्र देहरादून ने पत्रांक 195/दे0दून–पी0डब्ल्यू0ए0–03/2018–वसूली/2019 दिनांक 07.01.2019 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, हरिद्वार को सम्बोधित करते हुए कहा है कि प्रतिवादी सेवायोजक पक्ष श्री अनिल जेटली से धनराशि रूपया 3076000/– की भू–राजस्व की भांति वसूली कर आहरण/वितरण अधिकारी (उप श्रम आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र देहरादून) के नाम रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें। उक्त धनराशि की वसूली पर नियमानुसार देय संग्रह व्यय उक्त प्रतिवादी पक्ष से पृथक से वसूल किया जाए।

9. श्री खजान सिंह एवं श्री दलिप सिंह ने माननीय उपाध्यक्ष महोदया को अवगत कराया कि श्री अनिल जेटली ने सहायक श्रम आयुक्त के आदेश दिनांक 28.11.2018 के विरूद्ध न्यायालय जनपद न्यायाधीश, देहरादून में वाद दायर कर दिया है। अतः इस भांति वह चतुरता के साथ मजदूरी का भुगतान न करने का बहाना बनाता है। अतः मजदूरी दिला कर मुझको न्याय दिलाने का कष्ट करें। माननीय उपाध्यक्ष, एनसीएसटी ने दिनांक 05.03.2019 को दोपहर 03:00 बजे श्री जेटली तथा श्रम आयुक्त, उत्तराखंड सरकार तथा श्री खजान सिंह एवं श्री दलिप सिंह के साथ विचार–विमर्श करने हेतु सिटिंग की तिथि निर्धारित की।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

10. सिटिंग में श्री अनिल जेटली ने अपना चिकित्सा अवकाश प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए अपने प्रतिनिधियों को सिटिंग में उपस्थित होने के लिए भेजा। श्रम आयुक्त, उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। सिटिंग में श्री खजान सिंह एवं श्री दलिप सिंह उपस्थित हुए।

11. माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने श्री खजान सिंह से अपनी समस्या बताने को कहा। श्री खजान सिंह ने अवगत कराया कि श्री अनिल जेटली मजदूरी न देने का बार–बार बहाना बनाते हैं तथा मुझ गरीब को परेशान करने के लिए न्यायालय में वाद दायर कर देते हैं। यह एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ उत्पीड़न का मामला है अतः मुझको न्याय प्रदान किया जाए जिससे मैं एवं मेरा परिवार भुखमरी से बच सके। श्री दलिप सिंह ने बताया कि श्रम आयुक्त के आदेश के बावजूद वह भुगतान नहीं कर रहे हैं और उन्होंने श्रम आयुक्त के आदेश के विरूद्ध जिला न्यायालय में वाद दायर कर दिया है। श्री अनिल जेटली हमारे साथ, श्री खजान सिंह जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यदि यही रहा तो हम भी भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। अतः अविलम्ब न्याय दिलाने की कृपा करें।

12. माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने श्री अनिल जेटली के प्रतिनिधियों से, श्री अनिल जेटली द्वारा दिनांक 08.05.2018 को आयोग के समक्ष दिए गए आश्वासन के बाद श्री खजान सिंह एवं श्री दलिप सिंह के साथ हिसाब–किताब न करने का कारण पूछा। प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि श्री खजान सिंह का मामला माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड में विचाराधीन है। श्री दलिप सिंह के अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु श्रम आयुक्त ने दलिप सिंह को राहत प्रदान की है। श्रम आयुक्त के आदेश के विरूद्ध, लिंक इंटरप्राइजेज ने माननीय जिला न्यायालय, देहरादून में वाद दायर कर दिया है।

13. लिंक इंटरप्राइजेज (श्री अनिल जेटली) के प्रतिनिधियों तथा श्री खजान सिंह एवं श्री दलिप सिंह को सुनने के बाद आयोग ने निम्न संस्तुतियां कीः–

(1) आयोग में प्रकरण में कई बार बैठक कर मामले का निस्तारण करने का प्रयास किया गया। किन्तु, आयोग को ऐसा प्रतीत हुआ कि मुख्य ठेकेदार (श्री अनिल जेटली) लिंक इंटरप्राइजेज, हरिद्वार की मंशा अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों के प्रतिकूल है। साथ ही वे भारतीय न्याय प्रणाली और संवैधानिक संस्थाओं का अनादर करते हुए आयोग सहित अन्य न्यायालयों के अनुशंसा/ निर्णयों के बावजूद अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के मजदूरी और अन्य मदों मे खर्च का भुगतान नही कर रह है। श्री दलिप सिंह के मामले मे श्रम आयुक्त, प्राधिकारी वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, गढ़वाल क्षेत्र देहरादून के दिनांक 26.06.2018 तथा 28.11.2018 के आदेशों में वेतन भुगतान (Rs. 15,38,000/-) एवं विलम्ब क्षतिपूर्ति (Rs. 15,38,000/-) तथा कुल धन राशि रूपए 3076000/– आहरण/वितरण

कुमारी अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्षा/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अधिकारी (उप श्रम आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र देहरादून) के नाम रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि कार्यालय में जमा कराने हेतु प्रतिवादी पक्ष श्री अनिल जेटली को आदेश दिया गया था। सहायक श्रम आयुक्त, प्राधिकारी वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, गढ़वाल क्षेत्र देहरादून ने पत्रांक 195/दे0दून–पी0डब्ल्यू0ए0–03/2018–वसूली/2019 दिनांक 07.01.2019 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, हरिद्वार को सम्बोधित करते हुए कहा है कि प्रतिवादी सेवायोजक पक्ष श्री अनिल जेटली से धनराशि रूपया 3076000/– की भू–राजस्व की भांति वसूली कर आहरण/वितरण अधिकारी (उप श्रम आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र देहरादून) के नाम रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें। इसके बावजूद श्री अनिल जेटली इनका भुगतान नही कर रहे। इसी प्रकार श्री खजान सिंह के मामले मे भी अनुबंधित राशि का कुल बकाया 71 लाख रुपये का भुगतान भी श्री अनिल जेटली द्वारा नही किया जा रहा है। यह अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति पर किया जाने वाला गंभीर अन्याय और अत्याचार है। अतः आयोग यह अनुशंसा करता है कि 7 दिनों के अंदर मुख्य ठेकेदार (श्री अनिल जेटली) लिंक इंटरप्राइजेज, हरिद्वार श्री खजान सिंह एवं श्री दलिप सिंह के लेनदेन का हिसाब करते हुए उक्त बकाया राशि का भुगतान करें तथा आयोग को इसकी सूचना 7 दिन के अंदर प्रेषित करें।

(2) प्रकरण मे दिनांक 17.11.2017 को आयोग में सम्पन्न बैठक मे अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन की ओर से उपस्थित श्री विनय अरोड़ा, उप महाधिवक्ता ने आयोग को अवगत कराया था कि, यदि ठेकेदार श्री अनिल जेटली के द्वारा श्री खजान सिंह का कोई पैसा बकाया है तो कॉन्ट्रेक्टर के सिक्योरिटी डिपौजिट राशि जो कुल कॉन्ट्रेक्ट की राशि का 10 प्रतिशत होता है में से उक्त बकाया राशि का भुगतान किया जा सकता है। यदि 7 दिनों के अंदर मुख्य ठेकेदार (श्री अनिल जेटली) लिंक इंटरप्राइजेज, हरिद्वार श्री खजान सिंह एवं श्री दलिप सिंह के उक्त बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तब लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन के पास जमा लिंक इंटरप्राइजेज की सिक्योरिटी राशि में से श्री खजान सिंह एवं श्री दलिप सिंह के बकाये का भुगतान 7 दिनों के अंदर किया जाय। आयोग को इसकी सूचना शीघ्र प्रेषित किया जाय।

(3) आयोग यह अनुशंसा करता है कि यदि श्री अनिल जेटली, लिंक इंटरप्राइजेज, हरिद्वार द्वारा भुगतान नही किया जाता है तब अनुसूचित जनजाति के मजदूरों के मजदूरी का भुगतान नहीं करने, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना देने सहित अन्य अत्याचार के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड शासन श्री अनिल जेटली, लिंक इंटरप्राइजेज, हरिद्वार के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना शीघ्र ही आयोग को प्रेषित करें।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(सं0:KS/3/2017/STGUL/SEOTH/RU-I)
(सं0:DS/1/2018/ STGUL/SEOTH/RU-I)

श्री खजान सिंह, ग्राम–सावरा, पो0–सुजोऊ, तह0–चकराता, जिला–देहरादून (उत्तराखंड) एवं श्री दलिप सिंह, पुत्र श्री सेमसु, व्यास नहरी, इन्द्रा कालोनी, कालसी, जिला–देहरादून (उत्तराखंड) को मुख्य ठेकेदार (श्री अनिल जेटली, कंपनी–लिंक इंटरप्राइजेज, रेलवे रोड, ज्वालापुर) हरिद्वार द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में आयोग में प्राप्त अभ्यावेदनों पर, सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 05.03.2019 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित सिटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्रतिभागियों की सूची–

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली

1. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष — अध्यक्ष
2. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
3. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
4. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
5. श्री आर.एस. मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक

श्रम आयुक्त, उत्तराखंड सरकार

–

मेसर्स लिंक इंटरप्राइजेज, हरिद्वार

1. श्री भावेश कुमार शर्मा
2. श्री त्रिभुवन शर्मा

अभ्यावेदक

1. श्री खजान सिंह
2. श्री दलिप सिंह